न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म मे जो
	विजयपाल बनाम खेताराम वगै0 दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 64/2019	

पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में इन खसरा नम्बरान् के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बिरजू पुत्र नानूराम संरक्षक माता रूपा देवी दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पत्रांक 5002/भू.अ./2019 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा भी अपनी जॉच रिपोर्ट में ग्राम पटवारी का बास के जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 74, 136, 157, 159, 372, 373 में नामा. संख्या 923 दिनांक 27.03.18 न्यायालय आदेश से नानूराम पुत्र मैदाराम कौम जाट की विरासत से अन्य खातेदारान् के साथ वादी का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है जबकि सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम विजयपाल पुत्र नानूराम है जो वर्तमान में बालिग हो चुके है एंव बिरजू पुत्र नानूराम संरक्षक रूपादेवी व विजयपाल पुत्र नानूराम एक ही व्यक्ति होना वर्णित किया है। प्रतिवादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों से सहमत होते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक करवाया है। जिसके आधार पर वादी बिरजू पुत्र नानूराम संरक्षक रूपादेवी के स्थान पर विजयपाल पुत्र नानूराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्रामं पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 0.0900 हैक्टर के हिस्सा 1/15 एंव खसरा नम्बर 892/1 रकबा 1.7200 हैक्टर के हिस्सा 1/10 व खसरा नम्बर 118, 119, 161, 162 कुल किता [illegible] रकबा 1.1400 हैक्टर के 1/15 हिस्सा एंव खसरा नम्बर 284, 285, 287, 322, 331 कुल किता 5 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर के हिस्सा 1/10 एंव खसरा नम्बर 175, 178, 193,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.29 10:57:00 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	विजयपाल बनाम खेताराम वगै0 दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 64/2019 199, 200 कुल किता 5 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर के हिस्सा 2/15 एंव खसरा नम्बर 114, 115, 116 कुल किता 3 कुल रकबा 3.5000हैक्टर के हिस्सा 1/40 की खातेदारी में वादी का नाम बिरजू पुत्र नानूराम सरंक्षक रूपादेवी के स्थान पर विजयपाल पुत्र नानूराम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.29 10:57:00 IST
Reason: SelfAttested